

(2)

(199)

मुंगेर गजट २ सितम्बर १९७६

(७४)

65

~~वेतदार~~

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

मुंगेर, दि० ३१-८-७६

अधिसूचना संख्या १७७/रा०/७६ चूंकि इसके साथ अनुबद्ध तालिका के स्तम्भ १ में उल्लिखित भूधारक ने बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिकतम भूमि अर्जन अधिनियम (बिहार लैण्ड रिफार्म्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एण्ड एक्विजीशन ऑफ सरप्लस लैण्ड १९६१ (बिहार अधिनियम १३, १९६२) की धारा १५ (क) (२) के अधीन स्वेच्छा से उनके द्वारा धारित अधिशेष भूमि सरकार को समर्पित किया है।

और चूंकि, उक्त विवरण के स्तम्भ १ से ४ तक में वर्णित भूमि अधिशेष है,

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-१५ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनाय उक्त अधिशेष भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्जित करते हैं।

उपयुक्त अर्जन उक्त भूधारी के द्वारा धारित भूमि के विवरण प्रारूप के अंतिम प्रकाशन से संबंधित धारा-११ की उप-धारा (१) के अध्याधीन होगा।

॥ तालिका ॥

(७४)

भूधारी का नाम—	अधिशेष भूमि का रकबा	पिता का नाम—	पता—
श्री महेन्द्र दास	के० परमानन्द दास	बेला-फ़ौजदार दास गोसाय	सा० फ़ौजारा धाना—बेलदौर जिला—मुंगेर

गांव	ख़ाता न०	प्लॉट न०	क्षेत्रफल	
			एकड़	डिसमल
१	२	३	४	
दबरोजा	137	15/13	6-12	
	107	20/32	6-83	
	170	5/33	1-49	
	114	20/25	2-52	

कुल-17-06 एकड़

(कुल रकबा—सत्तरह एकड़ एवं छः डिसमल) मात्र
(संचिका संख्या—6/सीलिंग-स्वे०—200017/76)

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह० कृ० आर० एन० ठाकुर
सरकार के उप सचिव